**ले.प.प्रति.सं.56/2018-19**

**कार्यालय जिला न्यायाधीश, उत्तरकाशी** के **माह जून/2014 से जनवरी/2019** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो **श्री अजय कुमार श्रीवास्तव एवं श्री खजान सिहं सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक श्री प्रेम चन्द्र, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी** के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

**भाग-I**

**परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री टी0एस0नेगी एवं श्री अजय त्यागी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 20.06.2014 से 28.06.2014 तक श्री पुष्कर लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी। जिसमें 03/2006 से 05/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में **माह 06/2014 से 01/2019** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

**(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः गढवाल परिक्षेत्र, उत्तरकाशी**

**(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

**(धनराशि लाख में)**

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | आधिक्य (+) | बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैर स्थापना | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | | |
| **2014-15** | - | - | 312.10 | 251.33 | 34.45 | 30.06 | _ | 65.15 |
| **2015-16** | - | - | 272.10 | 272.10 | 29.37 | 29.33 | _ | 0.04 |
| **2016-17** | - | - | 379.90 | 318.43 | 38.77 | 37.41 | _ | 62.83 |
| **2017-18** | | | 422.97 | 380.67 | 37.14 | 31.67 | _ | 47.77 |
| **2018-19 (10/18) तक** | | | 486.85 | 321.64 | 33.69 | 19.92 | | - |

**(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः शून्य**

इकाई को बजट आवंटन (केन्द्र एवं राज्य सरकार) द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **कार्यालय जि□ला न्यायाधीश, उत्तरकाशी** को श्रेणी (सी) की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

जिला न्यायाधीश

↓

अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट

↓

सिविल जज/ न्यायिक मजिस्ट्रेट

↓

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

↓

प्रशासिनक अधिकारी

↓

प्रधान सहायक

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **उत्तराखण्ड गढवाल परिक्षेत्र** एवं अनुपालन लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं प्रतिवेदन कार्यालय **जि□ला न्यायाधीश, उत्तरकाशी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। विस्तृत जांच हेतु **माह 02/15, 04/16, 02/18 एवं 10/18** को चयनित किया गया। उपरोक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन व्यय की अधिकता के आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई है।

**भाग-II 'अ'**

---------------- शून्य ------------------

**भाग दो ब**

--------------- शून्य ----------------

## STAN

**<u>प्रस्तरः1-</u> रू 16.14 करोड़ के लेन-देनों के लेखे की रोकड़बही न बनाया जाना।**

वित्तीय नियमानुसार रोकड़बही विभाग का मुख्य अभिलेख होता है जिसमें विभाग के सभी लेन देनों (नगद/चेक/ड्राफ्ट/ई-पेमेंट) का लेखा रोकड़बही में इन्द्राज करना चाहिए।

कार्यालय जिला न्यायाधीश, उत्तरकाशी के लेखा अभिलेखों की जांच में देखा गया कि विभाग द्वारा लेखा परीक्षा अवधि 06/2014 से 01/2019 तक के दौरान ट्रेजरी से किए गए कुल रू 16.74 करोड़ के लेन-देनों (स्थापना+गैर स्थापना) की कोई रोकड़बही नहीं बनाई गयी है। विभाग द्वारा एक उप रोकड़बही का रख रखाव किया गया है जिसमें केवल पेटी कैश से संबन्धित लेन देन दर्ज किए जा रहे हैं जो वित्तीय नियमों के विरूद्ध है।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि भविष्य में रोकड़बही के सन्दर्भ में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अतः रू 16.74 करोड़ के लेन-देनों के लेखे की रोकड़बही न बनायें जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**<u>भाग-III</u>**

(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या | भाग दो -"अ"प्रस्तर संख्या | भाग दो -"ब" प्रस्तर संख्या | पू0 न0 ले0 टिप्पणी प्रस्तर सं0 |
|---|---|---|---|
| 07/2014-15 | शून्य | शून्य | शून्य |

**भाग-IV**

## इकाई के सर्वोत्तम कार्य

**--------- --- ----------- शून्य -----------------------------**

**भाग-V**

**आभार**

**कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून** लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय न्यायाधीश, उत्तरकाशी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित **अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः शून्य**

**सतत् अनियमितताएः शून्य**

**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया है।**

| **क्रं.सं** | **नाम** | **पद नाम** | **कार्यकाल अवधि** |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री राजेन्द्र सिंह | जिला न्यायाधीश | 03.05.2013 से 05.05.2016 |
| 2 | श्री डी0एस0 धर्मसत्तू | जिला न्यायाधीश | 07.05.2016 से 03.08.2017 |
| 3 | श्री डी0पी0 गरोली | जिला न्यायाधीश | 05.08.2017 से 03.01.2019 |
| 4. | श्री सिकन्द्र कुमार त्यागी | जिला न्यायाधीश | 09.01.2019 से वर्तमान तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला न्यायाधीश, उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार/(सामान्य क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) "महालेखाकार भवन" दिवतीय तल एल-218 कौलागढ, उत्तराखण्ड, देहरादून** को प्रेषित कर दी जाए।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**

**सामान्य क्षेत्र**